राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग

स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड (स्थापना, गठन, कार्य और शक्तियां) विनियम

अधिसूचना

नई दिल्ली

संख्या [*अधिसूचना संख्या .....*]।—धारा 66 की उपधारा (1) और धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ङ), (झ), (ञ) और (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 11, 29, 46 और 51 के साथ पठित और इस संबंध में सक्षमकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड (स्थापना, गठन, कार्य एवं शक्तियां) विनियम-2026 बनाने का प्रस्ताव करता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:**

(क) इन विनियमों का नाम **"स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड (स्थापना, गठन, कार्य और शक्तियां) विनियम" या संक्षेप में "स्वायत्त बोर्ड विनियम"** है।

(ख) ये विनियम उस तिथि से प्रवृत्त होंगे जो आयोग सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित करेगा, और इस विनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां अवधारित की जा सकती हैं और किसी भी प्रावधान में इस विनियम के प्रवृत्त होने का उल्लेख उस प्रावधान के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में माना जाएगा।

अध्याय I

प्रारंभिक

2. **परिभाषाएँ:**

इन विनियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा और उनके समरूप अभिव्यक्तियों और विविधताओं की व्याख्या तदनुसार की जाएगी।

क) **"अधिनियम"** से तात्पर्य राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 से है।

ख) **"सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में निर्धारित है।

ग) **"सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में निर्धारित है।

घ) **"मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड"** से तात्पर्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड से है, जिसका गठन राज्य परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत और इन विनियमों के

अनुसार किया गया है।

ङ) **"स्वायत्त बोर्ड"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में निर्धारित है।

च) **"केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड" या "सीएबी"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 11 के तहत आयोग द्वारा गठित ऐसी समिति से है जो इन विनियमों के तहत अवधारित कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए गठित की गई है।

छ) **"पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ता"** से तात्पर्य सीएबी या स्वायत्त बोर्डों द्वारा इन विनियमों के अनुसार सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों के निरीक्षण और रेटिंग के आकलन के लिए पैनलबद्ध व्यक्तियों से है, जैसा कि अधिनियम और इन विनियमों के तहत विहित है।

ज) **"आचार एवं पंजीकरण बोर्ड"** से तात्पर्य राज्य परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत तथा इन विनियमों के अनुसार गठित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग एवं पंजीकरण बोर्ड से है।

झ) **"संस्था एलओपी आकलन रिपोर्ट"** का वही अर्थ होगा जो संस्था मान्यता विनियमों में निर्धारित है।

ञ) **"संस्था सत्यापन रिपोर्ट"** का वही अर्थ होगा जो संस्था मान्यता विनियमों में निर्धारित है।

ट) **"पीजी बोर्ड"** से तात्पर्य राज्य परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत तथा इन विनियमों के अनुसार गठित स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति शिक्षा बोर्ड से है।

ठ) **"पेशेवर आचार विनियम"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 11(1)(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी विनियमों से होगा।

ड) **"संस्था मान्यता विनियम"** से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति पेशेवरों के लिए संस्था मान्यता विनियम से होगा।

ढ) **"मान्यता प्राप्त श्रेणी"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित है।

ण) **"मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम"** का वही अर्थ होगा जो संस्था मान्यता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित है।

त) **"मान्यता प्राप्त संस्थान"** का वही अर्थ होगा जो संस्थान मान्यता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित है।

थ) **"पंजीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति पेशेवर"** का वही अर्थ होगा जो पेशेवर पंजीकरण विनियमों के अंतर्गत निर्धारित है।

द) **"पेशेवर पंजीकरण विनियम"** से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत जारी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवर पंजीकरण विनियम से है।

ध) **"नियम"** से तात्पर्य राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति पेशेवर आयोग नियम, 2021 से है।

न) **"यूजी बोर्ड"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत तथा इन विनियमों के अनुसार राज्य परिषद द्वारा गठित स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति शिक्षा बोर्ड से है।

इन विनियमों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम और नियमों या अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी अन्य विनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम, नियमों या ऐसे विनियमों में अवधारित है।

अध्याय II

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड

3. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना

क) आयोग अधिसूचना द्वारा सीएबी का गठन ऐसे स्वरूप और तरीके से तथा आयोग के ऐसे कार्यों और कर्तव्यों के निष्पादन के लिए करेगा जैसा कि इन विनियमों के अधीन अवधारित है। बशर्ते कि आयोग अधिसूचना द्वारा सीएबी को ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझे भंग भी कर सकता है ।

ख) सीएबी आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा और आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी भी विशिष्ट निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।

ग) आयोग समय-समय पर, यदि आवश्यक हो, तो यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि इन विनियमों के अंतर्गत अवधारित सीएबी के कार्यों का निष्पादन आयोग द्वारा गठित अन्य समितियों द्वारा किया जाए। बशर्ते कि ऐसी सभी समितियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अवधारित प्रक्रिया तथा आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी।

4. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड का संघटन

(क) सीएबी में अध्यक्ष सहित कम से कम दस और अधिकतम तीस सदस्य होंगे, जिनमें प्रत्येक व्यावसायिक परिषद से कम से कम एक और अधिकतम तीन सदस्य शामिल होंगे।

बशर्ते कि सीएबी के सदस्यों की नियुक्ति करते समय आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रत्येक व्यावसायिक परिषद के अध्यक्ष के साथ-साथ आवश्यकतानुसार उसके अधिकतम दो सदस्यों का चयन करे।

परंतु यह और कि सीएबी के सदस्यों की नियुक्ति करते समय आयोग सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत सभी व्यवसायों के प्रतिनिधित्व का उचित ध्यान रखेगा।

(ख) सीएबी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

(ग) आयोग, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जहां कार्यशील राज्य परिषद नहीं है, सीएबी में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। ऐसे सदस्यों की नियुक्ति विनियम 7 के अंतर्गत सीएबी के विचारार्थ विषयों के अनुसार होगी।

5. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड का कार्यकाल

(क) कार्यकाल: सीएबी के सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे और लगातार दो कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

परन्तु यह कि सीएबी के अध्यक्ष की नियुक्ति वार्षिक रूप से रोटेशन के आधार पर की जाएगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष विभिन्न सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों से सीएबी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सीएबी के अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने पद पर नहीं रहेंगे।

(ख) निष्कासन: आयोग तीन महीने का नोटिस देने के बाद सीएबी के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को हटाने का आदेश दे सकता है, यदि वे:

(i) दिवालिया घोषित किए गए हों; या
(ii) किसी ऐसे अपराध के दोषी पाए गए हों, जिसमें आयोग की राय में नैतिक अधमता शामिल हो; या
(iii) सीएबी के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हों; या
(iv) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हों और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या
(v) ऐसा वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिया हो जिससे सीएबी के सदस्य के रूप में उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो और/या इन विनियमों के तहत निर्धारित हितों के टकराव की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया हो;
(vi) विनियम 6 के तहत प्रावधान किए गए निबंधन की शर्तों के भाग के रूप में आयोग द्वारा निर्दिष्ट लागू आचार संहिता का उल्लंघन किया हो; या
(vii) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि सीएबी में उनका बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो।

परन्तु यह कि आयोग के ऐसे किसी भी सदस्य को इस विनियम **5(**ख) के खंड **(v), (vi)** या **(vii)** के तहत उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उन्हें आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।

इसके अलावा, यदि आयोग ऐसा निर्णय लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को तीन महीने से पहले कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकता है या उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक तीन महीने से अधिक समय तक कार्य जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

6. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के कार्य

सीएबी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क. अधिनियम के तहत आयोग द्वारा जारी किसी भी विनियम के अनुसार निर्धारित कार्य और अधिनियम के तहत जारी ऐसे विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य।
ख. उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, जिन्होंने राज्य परिषद की स्थापना नहीं की है, अधिनियम के अनुसार और आयोग के विशिष्ट निर्देशों के अधीन, इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के कार्य।
ग. वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण विनियमों के तहत निर्धारित केंद्रीय रजिस्टर को रखना।
घ. आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग उद्देश्यों या निरीक्षण करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को पैनल में शामिल करना।
ङ. आयोग द्वारा अनुरोध की गई ऐसी जानकारी और विवरण, जिसमें कोई भी टिप्पणी या सिफारिश शामिल हो, प्रदान करना।
च. अधिनियम की धारा 39 के तहत आयोग द्वारा जारी विनियमों और निर्देशों के अनुसार, भारत के बाहर किसी भी संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी अर्हता का समतुल्यता प्रमाण पत्र मूल्यांकन करना।
छ. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, यह आयोग को ऐसी अनुशंसाएँ कर सकता है और आयोग से ऐसे निर्देश मांग सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
ज. ऐसे अन्य अतिरिक्त कार्य जो आयोग समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

7. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड का संचालन

क. आयोग समय-समय पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड (सीएबी) के संचालन के लिए निबंधन की शर्तें निर्दिष्ट करेगा, जिसमें बैठक, कोरम, मतदान प्रक्रिया, आचार संहिता, सीएबी में अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ने का तरीका [विनियम 4(ग) के तहत], सीएबी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा हितों के टकराव की घोषणा का तरीका, और सीएबी के कामकाज के संचालन से संबंधित अन्य विवरण शामिल होंगे, जिन्हें आयोग आवश्यक समझे।

ख. सीएबी आयोग को समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर और प्रारूप एवं तरीके से, प्रदान की गई अनुशंसाओं, किए गए निरीक्षणों, लिए गए निर्णयों और इन विनियमों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परन्तु यह कि सीएबी को समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित अतिरिक्त रिपोर्टें भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

ग. सीएबी का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी:

i. सीएबी में कोई रिक्ति या सीएबी के गठन में कोई दोष; या

ii. सीएबी के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या

iii. सीएबी की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो लिए गए निर्णय के गुण-दोष को प्रभावित न करती हो।

8. सचिवालय, समिति या विशेषज्ञों की नियुक्ति

(क) सचिवालय: केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत और नियमों तथा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार नियुक्त सचिवालय द्वारा सीएबी को सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) समितियों का गठन: आयोग, सीएबी के अध्यक्ष से परामर्श करके, सीएबी के अधीन ऐसी किसी समिति का गठन कर सकता है जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करे। सीएबी से परामर्श करने के बाद, आयोग समय-समय पर समितियों के गठन, कार्यप्रणाली और अन्य विवरण निर्दिष्ट करेगा।

9. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के भत्ते और व्यय

क. सीएबी के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते, आवास भत्ते और अन्य लाभों के हकदार होंगे जो आयोग समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है।

ख. सीएबी के सभी व्यय, जिनमें सीएबी के अध्यक्ष और सदस्यों या किसी उप-समिति के सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते और किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए देय शुल्क शामिल हैं, आयोग द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख निधि से नियमों के नियम 19(2) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किए जाएंगे। परन्तु यह कि सीएबी द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी उप-समिति द्वारा कोई भी व्यय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।

10. सत्यापन, निरीक्षण और रेटिंग मूल्यांकन का संचालन

क. सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदन का सत्यापन, राज्य परिषद के बिना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीएबी द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करते हुए किया जाएगा:

i. सीएबी को आवेदन में निर्दिष्ट सभी विवरणों का सत्यापन करना चाहिए, जिसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत आवेदकों के पहचान विवरण भी शामिल हैं।

ii. सीएबी यह सुनिश्चित करेगा कि सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के खिलाफ अधिनियम के तहत कोई शिकायत या कोई अन्य दंड न हो।

iii. सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के आवेदनों के सत्यापन की स्थिति में, सीएबी संबंधित मान्यताप्राप्त संस्थाओं से संबंधित वृत्तिक के शैक्षिक विवरणों का सत्यापन करने के लिए संपर्क कर सकता है।

iv. सीएबी अपने सभी समुक्तियां संस्थान एलओपी मूल्यांकन रिपोर्ट या अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य रिपोर्ट में प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि सीएबी समय-समय पर आयोग द्वारा इस सहबद्ध में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा।

ख. सीएबी, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से, संबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं के निरीक्षण या रेटिंग मूल्यांकन के लिए उनकी ओर से मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल नियुक्त कर सकता है।

ग. सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं के सभी निरीक्षण और रेटिंग मूल्यांकन क्रमशः विनियम 11 और 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और आयोग द्वारा जारी किए गए अन्य विशिष्ट निर्देशों के अधीन किए जाएंगे।

11. **निरीक्षण करने की प्रक्रिया**

(क) आयोग द्वारा उपर्युक्त विनियम 11 के अनुसार मान्यताप्राप्त संस्था की स्थापना की अनुमति देने से पहले निरीक्षण सहित, सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के किसी भी निरीक्षण के संचालन के लिए उपयुक्त विधि निर्दिष्ट करेगा, जैसा कि संस्था मान्यता विनियम के अंतर्गत निर्धारित है।

(ख) सीएबी द्वारा आयोग की पूर्व स्वीकृति से सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा। निरीक्षण दल में तीन सदस्य होंगे, जिनमें संबंधित वृत्तिक परिषद का कम से कम एक सदस्य और दो पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ता होंगे। इनका चयन निरीक्षण किए जाने वाले संस्थान द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा।

(ग) आयोग सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान का निरीक्षण करने वाली निरीक्षण टीम (इस विनियम 11(ख) के अंतर्गत गठित) के आवंटन के लिए एक डिजिटल तंत्र विकसित कर सकता है।

(घ) सीएबी द्वारा निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा:

(i) यह समाधान किया जाए कि सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था, संस्था मान्यता विनियम अनुसार न्यूनतम मानकों और संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं।

(ii) सभी किए गए निरीक्षणों और उनके पालन में की गई कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखें, साथ ही संस्थान प्रमाणन रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले आवश्यक साक्ष्य एकत्र करें।

(iii) संस्था प्रमाणन रिपोर्ट को आवश्यक निष्कर्षों सहित आयोग को प्रस्तुत करें।

(iv) निरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी जानकारी और संस्था प्रमाणन रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा, जैसा इन विनियमों के अधीन अपेक्षित है इसके सिवाय या आयोग द्वारा अन्यथा निर्देश दिया गया हो।

(v) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, हितों के टकराव की स्थिति में कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

(vi) किसी भी निरीक्षण के दौरान, संबंधित संस्था से केवल सामान्य आतिथ्य सत्कार ही स्वीकार किया जाए, जो कि आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

(ङ) सीएबी की ओर से पैनल में शामिल मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला कोई भी निरीक्षण,

उपर्युक्त विनियम 11 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो कि आयोग द्वारा समय-समय पर पैनल में शामिल होने और प्रक्रिया संबंधी प्रासंगिक शर्तों के अधीन होगा।

12. **रेटिंग मूल्यांकन करने की प्रक्रिया**

(क) सीएबी द्वारा रेटिंग मूल्यांकन के उद्देश्य से किसी भी समय किसी भी मान्यताप्राप्त संस्था से कोई भी जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज या डिजिटल सामग्री मांगी जा सकती है।

(ख) आयोग द्वारा सीएबी के परामर्श से ऐसी कार्यप्रणाली भी विकसित की जाएगी जिसके द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी की जा सके, जिससे मूल्यांकन और रेटिंग की जा सके। परंतु यह कि मान्यताप्राप्त संस्थानों की रेटिंग निम्नलिखित सांकेतिक मापदंडों पर आधारित होगी, जिनमें संबंधित मापदंडों को सम्यक वरीयता दी जाएगी, नामतः

(i) संस्था मान्यता विनियम के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन

(ii) शिक्षण की नवीन विधियों और छात्रों को दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों (निर्धारित पाठ्यक्रमों के अलावा) के माध्यम से प्रदर्शित शैक्षणिक उत्कृष्टता।

(iii) मान्यताप्राप्त संस्था का वह शोध परिणाम जिसने मौजूदा ज्ञान में योगदान दिया है और मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा सृजित शोध प्रभाव।

(iv) मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा निर्मित छात्र अनुशासन और संतोषजनक शिक्षण एवं अधिगम वातावरण

(v) मान्यताप्राप्त संस्था के विभिन्न मामलों पर छात्रों का फीडबैक, जिन्हें सम्यक वरीयता दी जाए

(vi) छात्रों/संकाय सदस्यों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ खेल और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी।

(vii) मान्यताप्राप्त संस्थान में खेल और सामाजिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता।

परंतु उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग समय-समय पर मान्यताप्राप्त संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए अन्य मानदंड अधिसूचित कर सकता है।

(ग) आयोग मान्यताप्राप्त संस्थाओं के नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन परिणामों और रेटिंग को अपनी वेबसाइट पर या सार्वजनिक रूप से इस प्रकार उपलब्ध कराएगा जिससे आमजन को इन्हें समझने और उपयोग करने में आसानी हो।

(घ) सीएबी की ओर से पैनल में शामिल मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला कोई भी रेटिंग मूल्यांकन भी उपर्युक्त विनियम 12 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो आयोग द्वारा समय-समय पर पैनल में शामिल होने और प्रक्रिया संबंधी प्रासंगिक निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

अध्याय III

स्वायत्त बोर्डों का गठन, कृत्य और प्रशासन

13. **स्वायत्त बोर्डों का गठन**

(क) राज्य परिषदें अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करेंगी:

i. यूजी बोर्ड;
ii. पीजी बोर्ड;
iii. मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड; और
iv. सदाचार एवं रजिस्ट्रीकरण बोर्ड

(ख) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में अध्यक्ष सहित कम से कम दस और अधिकतम बीस सदस्य होंगे, जिनमें सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की प्रत्येक मान्यताप्राप्त श्रेणी से कम से कम एक और अधिकतम दो सदस्य होंगे, या आयोग समय-समय पर सदस्यों की ऐसी अन्य संरचना अधिसूचित कर सकता है। परंतु यह कि आयोग स्वायत्त बोर्डों की किसी अन्य संरचना को विनिर्दिष्ट करते समय, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की प्रत्येक मान्यताप्राप्त श्रेणी के अंतर्गत सभी वृत्तिकों के प्रतिनिधित्व पर सम्यक रूप से ध्यान रखेगा।

(ग) स्वायत्त बोर्डों के सदस्यों के पास निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव होने चाहिए:

(i) अध्यक्ष: ऐसा व्यक्ति जिसके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो और जिसने किसी भी मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अनुभव प्राप्त हों।

(ii) **अन्य सदस्य:** एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो और जिसने किसी भी मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के क्षेत्र में आग्रणी के रूप में हों।

(iii) वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण विनियमों के लागू होने पर स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य सदस्य रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक होंगे।

(iv) सीएबी के अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने पद पर नहीं रहेंगे।

(घ) राज्य सरकार प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार करेगी।

परंतु यह कि राज्य सरकार स्वायत्त बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी भी दिशा-निर्देश पर विचार करेगी।

14. स्वायत्त शासी बोर्ड के कार्य

(क) स्वायत्त शासी बोर्ड इस विनियम 14 के तहत निर्दिष्ट संगत कार्यों का निष्पादन करेंगे, इस अधिनियम के तहत आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों को कार्यान्वित करेंगे और अधिनियम की धारा 29 के तहत स्वायत्त शासी बोर्ड को सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे।

(ख) यूजी बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा:

(i) सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृति के विभिन्न मान्यता प्राप्त स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए लागू मानकों का निर्धारण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, ताकि सभी राज्यों में ऐसे मान्यता प्राप्त स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एकसमान मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृति के मान्यता प्राप्त स्नातक पाठ्यक्रमों के शिक्षण में लगे संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुगम बनाना, साथ ही ऐसे मान्यता प्राप्त स्नातक पाठ्यक्रमों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(iii) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृति के लिए प्रस्तावित स्नातक कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट दक्षता-आधारित ढाँचे को लागू करना।

(iv) अधिनियम के अंतर्गत जारी विनियमों के तहत निर्धारित रिपोर्टों और राज्य परिषद और/या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य रिपोर्टों को तैयार करना और प्रस्तुत करना।

(v) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, वह राज्य परिषद को ऐसी सिफारिशें कर सकती है और उससे ऐसे निर्देश प्राप्त कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(ग) नियम 14(बी) के प्रावधान, जो यूजी बोर्ड के कार्यों से संबंधित हैं, पीजी बोर्ड पर यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे, और उसमें स्नातक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के किसी भी संदर्भ को स्नातकोत्तर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(घ) मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदनों का मूल्यांकन एवं सत्यापन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संस्थान मान्यता संबंधी विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुमति पत्र प्रदान करने हेतु आवेदनों का मूल्यांकन एवं सत्यापन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संस्थान मान्यता संबंधी विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन करते हैं।

(iii) मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करना, जैसा कि राज्य परिषद द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए, ताकि संस्थान मान्यता संबंधी विनियमों के अनुसार लागू न्यूनतम मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

(iv) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्टों की समीक्षा करना, ताकि संस्थान मान्यता संबंधी विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित अनुपालन स्थिति में कमियों की पहचान की जा सके।

(v) मान्यता प्राप्त संस्थानों के विरुद्ध संस्थान मान्यता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई करने हेतु राज्य परिषद को अनुशंसाएँ करना।

(vi) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय और तरीके से सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग मूल्यांकनकर्ताओं का संचालन करना या आवश्यक हो तो उन्हें पैनल में शामिल करना।

(vii) इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रेटिंग प्रयोजनों या निरीक्षण करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की सूची बनाना।

(viii) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अभ्यर्पण किए गए आवेदनों और निकास योजनाओं का मूल्यांकन करना और संस्थान मान्यता विनियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित ऐसे अभ्यर्पित आवेदनों की स्वीकृति के संबंध में राज्य परिषद को सिफारिश करना।

(ix) संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग को नियमित अंतराल पर और आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से अपनी वेबसाइट पर या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना।

(x) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, यह राज्य परिषद को ऐसी सिफारिशें कर सकता है और उससे ऐसे निर्देश प्राप्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(ङ) सदाचार एवं पंजीकरण बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) वृत्तिक पंजीकरण विनियमों के तहत यथानिर्धारित राज्य रजिस्टर का रखरखाव करना।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत जारी वृत्तिक सदाचार विनियमों के अनुसार सदाचार संहिता एवं वृत्तिक आचरण मानकों का विकास करना और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

(iii) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा वृत्तिकों द्वारा सदाचार संहिता और वृत्तिक आचरण मानकों के उल्लंघन के किसी भी मामले या शिकायत का मूल्यांकन करना और वृत्तिक पंजीकरण विनियमों एवं वृत्तिक सदाचार विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसे वृत्तिकों को राज्य रजिस्टर से हटाने के लिए राज्य परिषद को अनुशंसा करना।

(iv) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, यह राज्य परिषद को ऐसी अनुशंसाएँ कर सकता है और उससे ऐसे निर्देश प्राप्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(च) राज्य परिषद सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा वृत्तिकों से संबंधित शिक्षा, प्रथा और सदाचार संहिता मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त शासी बोर्डों के बीच प्रभावी समन्वय हेतु आवश्यक तंत्र निर्दिष्ट करेगी। बशर्ते कि राज्य परिषद, ऐसे तंत्र को निर्दिष्ट करते समय, स्वायत्त शासी बोर्डों के कामकाज के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता पर विचार करेगी।

15. स्वायत्त शासी बोर्डों का प्रशासन

(क) राज्य परिषद, स्वायत्त शासी बोर्डों के संचालन के लिए विचारार्थ विषय निर्दिष्ट करते समय, इन विनियमों के विनियम 7 के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्दिष्ट विचारार्थ विषय और प्रक्रिया पर विचार करेगी।

(ख) स्वायत्त शासी बोर्डों को राज्य परिषद के सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत की जाएगी और राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

(ग) राज्य परिषद स्वायत्त शासी बोर्डों के अंतर्गत किसी उप-समिति के गठन या स्वायत्त शासी बोर्डों द्वारा किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति का तरीका निर्धारित कर सकती है। बशर्ते कि राज्य परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वायत्त शासी बोर्डों द्वारा ऐसी कोई उप-समिति गठित न की जाए या ऐसे किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति न की जाए।

(घ) स्वायत्त शासी बोर्डों के सभी व्यय, जिनमें स्वायत्त शासी बोर्डों के सदस्यों के भत्ते भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा कोष से उस तरीके से भुगतान किए जाएंगे जैसा कि संबंधित राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

(ङ) आयोग किसी भी राज्य परिषद को संबंधित राज्य परिषद और किसी भी स्वायत्त शासी बोर्ड के कामकाज, कार्यवाही और गतिविधियों से संबंधित ऐसी जानकारी, अभिलेख, विवरण या रिपोर्ट प्रस्तुत करने और ऐसे दस्तावेज, आंकड़े या विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि आयोग अधिनियम और इन विनियमों के अनुपालन का आकलन करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट करे। प्रस्तुत की गई जानकारी या अन्यथा उपलब्ध जानकारी पर विचार करने के बाद, आयोग किसी भी राज्य परिषद को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझता है कि राज्य परिषदें और स्वायत्त शासी बोर्ड अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें, जिसमें सुधार, सुधारात्मक कार्रवाई या निर्दिष्ट मानकों, प्रक्रियाओं या समय-सीमाओं का पालन करने के निर्देश शामिल हैं।

16. स्वायत्त शासी बोर्डों के कार्य करने का तरीका

(क) संबंधित स्वायत्त शासी बोर्ड सत्यापन, निरीक्षण और रेटिंग मूल्यांकन करने का तरीका निर्धारित करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि विनियम 10, 11 और 12 के तहत निर्दिष्ट संबंधित मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाए। बशर्ते कि संबंधित स्वायत्त शासी बोर्ड सत्यापन, निरीक्षण और रेटिंग मूल्यांकन के लिए ऐसी आदर्श प्रक्रिया अपनाने पर भी विचार कर सकते हैं, जिसे आयोग समय-समय पर विनियम 10, 11 और 12 के अनुसार निर्दिष्ट करे।

(ख) संबंधित स्वायत्त शासी बोर्ड, अधिनियम के तहत जारी विनियमों के अनुसार, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा वृत्तिकों जैसा भी मामला हो, के किसी भी सत्यापन, निरीक्षण या रेटिंग मूल्यांकन के लिए आयोग द्वारा राज्य परिषद को दिए गए संबंधित निर्देशों का भी अनुपालन करेंगे।

(ग) आयोग, अधिनियम के तहत जारी विनियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अध्यधीन, स्वायत्त शासी बोर्डों द्वारा रखी और प्रस्तुत की गई संस्था एलओपी मूल्यांकन रिपोर्ट, संस्था सत्यापन रिपोर्ट या अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य रिपोर्ट या रेटिंग मूल्यांकन से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों की प्रति संबंधित राज्य परिषद से मांग सकता है।